रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 1983/अग्रहायण 1, 1905
No. 195] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 1983/AGRAHAYANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली 21 नवम्बर 1983

संकल्प

सं० 1/5/82-ई० पी० – इस मंत्रालय के संकल्प सं० 8(15)/78-ई पी० दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, यह मंत्रालय, इस संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करता है –

(1) विद्यमान पैरा 7 के उप-पैरा (ii) के स्थान पर निम्नोक्त प्रतिस्थापित किया जाए

'(ii) पर्जागत माल, संघटक, कच्चा सामग्री, अतिरिक्त पुर्जों, उपभोक्ता माल, कार्यालय उपस्कर, फोर्क-लिफ्ट, जैसे माल ढुलाई के उपस्कर, निर्माण सामग्री सहित ओवर-हैड क्रेनों के आयात, आयात शुल्क से मुक्त रहेंगे ।"

(2) विद्यमान पैरा 7 के उप-पैरा (17) के बाद, निम्नोक्त जोड़ा जाए :

"(18) प्रत्येक किस्म के दो नमूनों से अनधिक नमूनों/प्रोटोटाइपों का आयात, आयात शुल्क से मुक्त रहेगा ।

(19) रेखा चित्रों, नक्शों, तकनीकी नक्शों तथा चार्टों के आयात, आयात शुल्क से मुक्त रहेंगे ।

(20) तैयार उत्पाद उत्पादन शुल्क तथा अन्य केन्द्रीय लेवियों से मुक्त रहेंगे ।

(21) एकक अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत तक घरेलू बाजार में सप्लाई कर सकता है बशर्ते कि वह आयात नीति के अनुरूप हो और माल के सम्बन्ध में लाइसेंस तथा आयात शुल्कों के भुगतान के अध्यधीन हो ।

(22) फोर्क लिफ्ट ओवर हैड क्रेनों जैसे माल ढुलाई के उपस्कर तथा भवन निर्माण सामग्री, फालतू पुर्जों, उपभोक्ता माल, अगर उन्हें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित एककों द्वारा 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को सप्लाई किया जाए तो उन्हें "माने गए निर्यातों" के रूप में माना जाएगा ।

(23) एकक विश्वव्यापी निविदा स्थितियों के अन्तर्गत घरेलू परियोजनाओं के लिए अपने उत्पाद बेच सकते हैं ।

(24) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एककों द्वारा की गई सप्लाईयां केन्द्रीय बिक्रीकर के भुगतान से मुक्त रहेंगी ।

(25) अगर इस योजना के अन्तर्गत कोई एकक निर्यात के लिए माल उत्पादन करने के लिए बांडेडपरिसर में उपयोग

किए जाने के लिए मशीनें किराये पर अथवा पट्टे पर (विदेश से अथवा घरेलू स्रोतों से) लेना चाहता है और उसके बाद उसकी उपयोगिता पूरी होने के बाद इन मशीनों को पुनर्निर्यात अथवा बेचना चाहता है तो वह संगत ब्यौरे सहित संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से आवेदन कर सकता है और उसे उसकी एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात उत्पादन अनुभाग), डी० जी० टी० डी० अथवा सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारियों को भी भेजनी चाहिए, प्रार्थनाओं पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।"

के० प्रकाश आनन्द, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 21st November, 1983

RESOLUTION

No. 1|5|82--EP.—In partial modification of this Ministry's Resolution, No. 8(15)|78-EP dated the 31st December, 1980, this Ministry makes the following amendmens to the Resolution :—

(1) For the existing sub-para (ii) of para 7, the following shall be substituted :

"(ii) Import of capital goods, components, raw materials, spares, consumables, office equipment, material handling equipments, such as fork lifts, over-head cranes including construction materials shall be exempt from import duty."

(2) After the existing sub-para (xvii) of para 7, the following shall be added :—

"(xviii) Import of samples|prototypes not exceeding two in number of each type of sample shall be exempt from import duty.

(xix) Import of drawings, blue prints, technical maps and charts shall be exempt from import duty.

(xx) Finished products shall be exempt from excise and other central levies.

(xxi) The unit can supply upto 25% of its output in the home market provided it is consistent with the import policy, and subject to licences and payment of import duties on the goods.

(xxii) Material handling equipments, such as forklift, over-head cranes and building construction materials spares, consumables, if supplied to 100% Export Oriented Units by units in the domestic tariff area shall be treated as deemed exports'.

(xxiii) The unit can sell its products to domestic projects under global tender conditions.

(xxiv) Supplies made by units in the domestic tariff area shall be exempt from payment of Central Sales Tax.

(xxv) If any unit approved under this scheme wants to take on rent or on lease machinery (either from a foreign country or from indigenous sources) to be utilised in the bonded premises for producing goods for exports, and then to re-export or dispose off the machinery after the same has outlived its utility, it may apply to the concerned administrative Ministry|Department alongwith relevant details, with a copy to the Ministry of Commerce (Export Production Section), the DGTD or the technical authorities concerned. Such requests may be permitted on merits of each case."

K. PRAKASH ANAND, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983